

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल

सी ब्लॉक, भू-तल, वन भवन, लिंक रोड क्रमांक-2, तुलसी नगर, भोपाल

दूरभाष 0755-2674318, 2674337] E-mail pccfvl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/108/ 11410

भोपाल दिनांक 19-12-2024

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. समस्त वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय/वन्यजीव)
5. समस्त संभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम
मध्य प्रदेश

विषय : बाघ, तेन्दुआ, चीता एवं हाथी के मृत्यु के प्रकरणों में वरिष्ठ एवं मीडिया को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/संरक्षण/2018/3751 दिनांक 02.06.2018.

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके कार्यक्षेत्र में बाघ, तेन्दुआ, चीता एवं हाथी की मृत्यु की घटना के उपरांत की जाने वाली कार्यवाही हेतु एनटीसीए, नई दिल्ली एवं इस कार्यालय के द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके द्वारा उक्त घटना की सूचना त्वरित इस कार्यालय एवं अन्य वरिष्ठों को उपलब्ध कराई जावे। अतः इस हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

क) तत्काल की जाने वाली कार्यवाही -

घटना की सूचना दूरभाष पर एवं मैसेजिंग एप के माध्यम से मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख एवं एनटीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को अनिवार्य रूप से दी जावे। (प्रारूप-I)

ख) 24 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाही -

- 1) प्रेस विज्ञप्ति जारी करें व उसकी प्रतिलिपि संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों को भेजे तथा उस प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक (कक्ष-मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति) तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष-समन्वय) को अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से दी जावे। (प्रारूप-II)
- 2) इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिक प्रतिवेदन (12 बिन्दु) की जानकारी अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं एनटीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को दी जावे। (प्रारूप-III)

ग) अन्य की जाने वाली कार्यवाही -

एनटीसीए नई दिल्ली के निर्धारित द्वितीय/अंतिम प्रतिवेदन (15 बिन्दु) मय पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक एवं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, घटना के 60 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. को अनिवार्य रूप से दी जावे। (प्रारूप-IV)

उपरोक्त कार्यवाही संपादित किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र संचालक/संचालक/वनमण्डलाधिकारी/संभागीय प्रबंधक की होगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय से इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देश/पत्र/प्रारूप अधिक्रमित किये जाते हैं।

संलग्न - समस्त प्रारूप (कुल संख्या-04)।

(शुभरंजन सेन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

4/12

पृ. क्रमांक/संरक्षण/108/ 1141
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19-12-2024

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र.
6. प्रभारी अधिकारी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, म.प्र. भोपाल
7. सहायक महानिरीक्षक वन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर
8. समस्त अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रारूप-I
दूरभाष/Messaging app के माध्यम से घटना की तत्काल सूचना बावत्।

(CWLW, HoFF & NTCA को जानकारी दी जावे)

1. Date of detection :
दिनांक
2. Time of detection :
समय
3. Place name :
(Range/Beat/Comp./Other)
स्थल (परिक्षेत्र/बीट/कक्ष/अन्य)
4. Sex :
(Male/Female/Unknown)
लिंग (नर/मादा/अज्ञात)
5. Age :
(Adult/Subadult/Cub/Unknown)
उम्र (वस्यक/अवस्यक/शावक/अज्ञात)
6. Probable cause of death :
(Natural/Poaching/Unknown)
मौत का संभावित कारण(प्राकृतिक/शिकार/अज्ञात)
7. Any other imp. information :
कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

प्रारूप-II
(24 घंटे के भीतर)

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी/टाइगर रिजर्व

क्रमांक .../2024 दिनांक

आज दिनांकको एक वन्यजीव बाघ/तेन्दुआ/चीता/हाथी की मृत्यु की घटना, जिसका स्थल वन भूमि/राजस्व भूमि कक्ष क्रमांक.....बीटवनपरिक्षेत्र.....के अंतर्गत प्रकाश में आई। जिस पर एनटीसीए नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी दिशा-निर्देश अनुरूप त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया व डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की कार्यवाही की गई। पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों के नाम 1)2).....के द्वारा किया गया है। वन्यजीव बाघ/तेन्दुआ/चीता/हाथी के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाये गये अथवा शरीर के अंगगायब पाये गये, जिसके खोजबीन हेतु जाँच जारी है। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह/भस्मीकरण की कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक/संचालक, तहसीलदार, सरपंच/पंच, एनटीसीए के प्रतिनिधि/वन्यजीव विशेषज्ञ (सभी के नाम लिखे जावे) व अन्य की उपस्थिति में की गई।उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई है। प्रकरण में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

संलग्न - घटना से संबंधित फोटो (अधिकतम 02)

(हस्ताक्षर)
क्षेत्र संचालक/वनमण्डलाधिकारी/संभागीय प्रबंधक
कार्यालय
मध्यप्रदेश

प्रारूप-III
(24 घंटे के भीतर)
प्राथमिक सूचना
(वन्यजीव की मृत्यु के संबंध में)

1. सूचना का स्रोत :
2. सूचना मिलने का दिनांक/समय :
3. घटना का दिनांक/समय (यदि ज्ञात हो तो) :
4. मृत वन्यजीव का विवरण
 - क) वन्यजीव का नाम :
 - ख) लिंग :
 - ग) अनुमानित आयु :
 - घ) मृत्यु का प्रथम दृष्टया कारण :
 - ड) अन्य विवरण :
5. घटना स्थल का विवरण
 - क) उप वनमण्डल : ख) परिक्षेत्र
 - ग) परिक्षेत्र सहायक वृत्त : घ) बीट परिसर/बीट
 - ड) कक्ष क्रमांक : च) ग्राम का नाम
 - छ) घटना स्थल की भू-आकृति(समतल/ढालू/तीव्र ढलान/पहाड़ी) :
 - ज) घटना स्थल के आसपास जल स्रोत की जानकारी :
 - ट) घटना स्थल का जी.पी.एस. निर्देशांक :
अक्षांश देशांतर
 - ठ) घटना की स्थिति :
6. घटना स्थल की दूरी :
 - क) निकटतम पेट्रोलिंग कैम्प/निगरानी चौकी से :
 - ख) बीट मुख्यालय से :
 - ग) परिक्षेत्र सहायक मुख्यालय से :
 - घ) परिक्षेत्र मुख्यालय से :
 - ड) उप वनमण्डल मुख्यालय से :
 - च) टाइगर रिजर्व/वनमण्डल मुख्यालय से :

7. घटना बाद श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा स्थल पर पहुंचने की जानकारी :-

अनु.क्र.	पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम	ओहदा/पदनाम	घटना स्थल पर पहुंचने का समय
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			

8. पी.ओ.आर क्रमांक एवं दिनांक :

9. पकड़े गये अपराधियों की संख्या, नाम एवं सकूनत :
(यदि गिरफ्तार किये गये हो तो)

10. जप्ती का विवरण :

11. की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

.....

.....

.....

.....

12. वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई सूचना :

क) सूचना किस अधिकारी को दी गई :

1. पदनाम :

2. पदनाम :

ख) सूचना देने का दिनांक/समय :

ग) सूचना देने का माध्यम :

दिनांक एवं स्थल :

प्रेषक के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम

प्रारूप-IV
(60 दिवस के भीतर)

NTCA Annexure-1 Final Report

To be submitted for disposal of each case of tiger/leopard carcass/body parts(s)/trophy

1	Name of Office	
2	Locational details of the mortality: description, GPS, Compartment/Block/Range/Sub-Division/Forest Division/Tiger Reserve or place/time	
3	Date of Mortality/carcass report	
4	In case of seizure of body parts details indicating the status of carcass or seized material	
5	Details of the person (staff/Others) who reported the incident first: name/address/contact details/telephone numbers/e-mail	
6	For carcass: Date, time and Place of Post Mortem (PM)	
7	Details of PM Team (names/designation /address/contact)	
8	Details of the missing body parts, if any	
9	Cause of death as ascertained after the PM	
10	Colour photographs of the carcass/body parts(s)- (close ups, indicating injury, if any); details of comparison with camera trap photo database.	
11	Cause of death: Natural/Poaching	
12	In case of poaching/seizure of body parts: further action taken/proposed: attach colour photographs of the seized body parts/attach certification regarding species identify (for bone pieces/meat/other body parts which are not physically identifiable)action taken with respect to offenders/suspects (if arrested) status of Case/complaint: number, date of filing the complaint, Sections of law, name of Court where filed.	
13	Panchnama/memo of disposal of carcass/body parts (s)	Enclosed/not-enclosed
14	Remarks if any	
15	Signature of the Officer In charge with name, designation, date and stamp	

(SOP prepared with inputs from Field Officers of Tiger Reserves)